न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 78/2018

1—जगदीश सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनुं जिला नागौर

..............अपीलान्ट

बनाम

1— तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज0

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1—श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज0सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम जगदीशसिंह मु0 नं0 52/18 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है :—

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

...ह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील ... नागौर राज0 ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर ... गौचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण ... अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। ...वारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर ...कर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के ...टिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त ... शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट प्राप्त की ...कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली–भातिं अध्ययन एवम ...कन किया ,ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौचर 00.04 बीघा भूमि पर जगदीश पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ...पुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर ...क्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि जगदीशसिंह ... श्री नारायण जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण किये ... पर रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन ... जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू मे मु0 न0 52/2018 दर्ज कर ...नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम जगदीशसिंह) के ...क्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.... ...पये का 50 गुणा जुर्माना 05 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट मे प्रदत्त ...क्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा ... बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय ... व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

--: अपील के आधार :--

... अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में ... भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये

... अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री ... अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वाक्याती भूल की ... अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

... योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के ... के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन ... करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त ... योग्य है।

... योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली ... मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। ... / प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस ... अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जने योग्य है।

... है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का ... अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट ... के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। ... कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

... है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, ... स्थान पर अपीलान्ट के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने ... है, तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा नक्शा खसरा नम्बर ...04 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि ... के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

...र्षों से काबिज होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ ...लय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

...ह कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी ...न बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी ...न सुविधाओं के कनैक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी ... अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

...है कि अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई ...सीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र ... भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को ... किसी उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की ... पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मानात को तोड़ फोड़ ... ... जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनया... ... के लिये मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ... नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही ...लान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

... है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक ... ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा ... के तहत कार्यवाही करने की अनुशंषा की है, जो मौके पर बिना कोई ...क रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट ...स्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये ... योग्य है।

...है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का ... अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त ...ये जाने योग्य है।

...है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अपील श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर ... है।

अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है ... 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व ... जाने की कृपा करावे।

... अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की ... दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये ... किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय ... लाडनूं द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ... मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ... उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ... अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 ... बीघा में से 0.04 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान ... राजकीय भूमि पर अतिकमण करने पर अपीलार्थी को ... नायब तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिकमी घोषित कर ... से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व ... 1956 के तहत जुर्माना रूपये 05/-- अक्षरे रूपये पांच का ... आरोपित किया किया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं ... अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के बगैर निर्णय किया ... मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय ... हुये है तथा बिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

लिये जिला कलक्टर नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भी निवेदन किया हुआ है।

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही। गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पटटा जारी है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को नहीं दिया गया है, क्योकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9 पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपार्ट जगदीश सिंह पुत्र नारायणसिंह को मकान व दिवार बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आबादी विस्तार भूमि 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया है। अतः दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)